कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(6)2020 / गो.प्र. / प्रमुवसं /   दिनांक :

–:: कार्यालय–आदेश ::–

कार्मिक (क–2), विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 व 33 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2020–21 की रिक्तियों पर विचारार्थ गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.08.2023 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित आशुलिपिकों का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत निजी सहायक (वर्तमान पद निजी सहायक ग्रेड–I) के रिक्त पदों पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे–मैट्रिक्स के पे–लेवल एल–11 (ग्रेड पे–4200) में एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	रिक्ति तिथि	विवरण
1.	नरेन्द्र कुमार माथुर	बनवारी लाल	01.04.2020	चयन सूची में इनका नाम श्री सुनील कुमार गोयल के नीचे एंव श्री सत्यदेव पारीक के ऊपर जोड़ा जाता है।
2.	महेश कुमार शर्मा	चुन्नालाल	01.04.2020	चयन सूची में इनका नाम श्री अनिल कुमार शर्मा के नीचे एंव श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल के ऊपर जोड़ा जाता है।

उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक / क–2 / 95 / पार्ट दिनांक 16.03.2023 के क्रम में की गई हैं। इनका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु लोकसेवक तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होंगे और ऐसे तीन वर्षो के पश्चात लोकसेवक को ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। अतः इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य–ग्रहण की रिपोर्ट 10 दिवस में इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

Sd/-

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(6)2020 / गो.प्र. / प्रमुवसं / 7097-7100/c   दिनांक : 14.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली / कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज. प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर